जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 17.11.2023**

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना में वांछित 01 लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 16.10.2023 को श्री नासिर पुत्र इनसू निवासी ग्राम भारती थाना कांधला जनपद शामली से दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ऑटो से जाते समय 03 मोटरसाईकिल सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाईल छीन लिया था, जिसकी सूचना पीडित द्वारा थाना कांधला पुलिस को दी गई। पीडित की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। थाना कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये वादी से जानकारी कर घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज आदि से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये थे, जिसके क्रम में लूट की घटना कारित करने वाले 01 लूटेरे को लूटे गये मोबाईल सहित पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उपरोक्त लूट की घटना में शामिल अन्य लूटेरो की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।।

इसी क्रम में दिनांक 16.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना में वांछित 01 लुटेरे को चोरी की मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्त नदीम पुत्र रहीशु निवासी ग्राम बड़ौदा थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर की गिरफ्तारी के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.समीर पुत्र शौकत निवासी ग्राम बड़ौदा थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी की मोटर साइकिल होण्डा ड्रीम योगा रंग काला चैचिस नं0 ME4JC58ABFT024780, इंजन नं0 JC58ET4025424।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 576/2023 धारा 414 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 519/2023 धारा 392/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 81,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2017 में अभियुक्तगण 1.सन्दीप उर्फ काला पुत्र नवाब 2.सचिन पुत्र नवाब 3.सुमित पुत्र कंवरपाल निवासीगण ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा घर में घुसकर नाबालिग को उठा कर ले जाने व नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 324/2017 धारा 452/363/376D/506 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण सन्दीप उर्फ काला, सचिन, सुमित उपरोक्त को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 17.11.2023 को माननीय न्यायालय पोक्सो स्पेशल कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण सन्दीप उर्फ काला, सचिन, सुमित उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 376D भादवि में 20-20 वर्ष कठोर कारावास व 20,000-20,000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 363 भादवि में 03-03 वर्ष कठोर कारावास व 3,000-3,000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 452 भादवि में 03-03 वर्ष कठोर कारावास व 3,000-3,000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 01-01 वर्ष कठोर कारावास व 1,000-1,000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.सन्दीप उर्फ काला पुत्र नवाब निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.सचिन पुत्र नवाब निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.सुमित पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना आदर्शमंडी</u>

<u>थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-</u>

आज दिनाकं 17.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन के आदेशानुसार वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में , क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलात प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-</u>

1. राजू पुत्र सुरेश चन्द निवासी मौहल्ला विवेक विहार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1.उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना कांधला जनपद शामली।

2. का0 राजीव कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 अक्षय मावी थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI